

अमृत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु Reform Incentive Claim किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग यादव, राज्य मिशन निदेशक (अमृत) की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2019 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति विवरण:-संलग्न

नगर पालिका परिषद बड़ौत, चन्दौसी, देवरिया, गाजीपुर एवं मुजफ्फरनगर से अधिशासी अधिकारी अथवा उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया, और न ही बैठक में न आने की कोई सूचना पूर्व में दी गई, इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अपर मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि अमृत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित किये गये Reform Milestones के लक्ष्य को पूर्ण न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 का Reform Incentive प्राप्त नहीं हो पाया था। वर्ष 2018-19 हेतु Reform Incentive Claim करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रदेश वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित Reform Milestones के लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। अपर मिशन निदेशक (अमृत) द्वारा अवगत कराया गया कि Reform Milestones के सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशालय के पत्र संख्या-एसएमएमयू/2038/617/2018 दिनांक 17.10.2018, पत्र संख्या-एसएमएमयू/2126/617/2019 दिनांक 31.10.2018, पत्र संख्या-एसएमएमयू/2842/519(A)/2019 दिनांक 26.02.2019 तथा पत्र संख्या-एसएमएमयू/2473/519(A)/2019 दिनांक 05.02.2019 के द्वारा समस्त अमृत निकायों एवं जल निगम इकाइयों को सूचित किया गया है।

बैठक में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक अमृत निकाय को वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित Reform Milestones के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने के साथ-साथ वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित Reforms के Milestones को भी प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण करते हुये दोनो वर्षों के लिये पृथक-पृथक बुकलेट तैयार करके दिनांक 20 अप्रैल, 2019 तक submit की जानी है, जिसके बारे में पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है।

मिशन निदेशक महोदय द्वारा इस बात पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की गई कि बार-बार सूचित किये जाने के बावजूद कई निकायों की वेबसाइट चल नहीं रही है और यदि चल भी रही है तो उस पर समुचित एवं अपडेटेड सूचनायें उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार अनेक निकायों के द्वारा पिछले 03 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्स शीट निकाय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इस के अतिरिक्त E-Governance के Reforms में ई-नगर सेवा पोर्टल पर PMIS एवं PSM/PIS के डेटा भरे नहीं गये हैं तथा अमृत योजना के निर्माणाधीन/सृजित सम्पत्तियों के Geo-tagging का कार्य भी असंतोषजनक है।

मिशन निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि E-Governance के Reforms में पेयजल एवं सीवरेज से सम्बन्धित परियोजनाओं का Online Project Management Information System (PMIS) जल निगम के द्वारा तथा पार्क एवं ग्रीन स्पेसेज से सम्बन्धित परियोजनाओं का Online Project Management Information System (PMIS) सम्बन्धित अमृत निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद)/आर0सी0यू0ई0एस0 के द्वारा किया जाना है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:-

AMRUT Reform Scoring Milestones for F.Y. 2018-19 (with backlog of F.Y. 2017-18)					
S. N.	Reforms	Milestones	Max. Score	Remarks	
1.	E-Governance	Project Management Information System (PMIS)	1- Online PMIS: Financial Progress	2	To be Authenticated by online E-nagar sewa portal (Nagar Vikas Vibhag). Snap shots to be provided
		2- Online PMIS: Physical Progress	2		
		3- Online issue of NIT and Providing tender documents online	1	Snap shots from UP E-Tender portal	
		4- Online submission of tender including online payment of EMD	2		
		5-Online payments to consultants/ contractor/ vendors	2	Snap shots of transaction through NEFT/RTGS	
		6-Geo-tagging of assets created (photographs capturing and uploading of ongoing & completed AMRUT projects on mAMRUT App.)	1	Snap shots from MoUD portal	
		Total :-	10		

बैठक में उपस्थित जल निगम (नागर) के अधीक्षण अभियन्ता श्री ए० के० सिंह एवं आर०सी०यू०ई०एस० के अपर निदेशक श्री ए० के० गुप्ता, जिन्हें ई-नगर सेवा का यूजर आई-डी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है, से अपेक्षा की गई कि वे क्रमशः पेयजल एवं सीवर (जल निगम) तथा पार्क एवं ग्रीन स्पेस (निकाय) से सम्बन्धित प्रगतिधीन परियोजनाओं की Online Project Management Information System (PMIS) की नियमित मॉनीटरिंग अपने स्तर से सुनिश्चित करते हुये राज्य मिशन निदेशालय को प्रतिदिन सायंकाल अवगत कराये।

अतः वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित Reform Milestones के लक्ष्य को पूर्ण किये जाने के साथ-साथ वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित Reforms के Milestones को प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण किया जाना है, जिसके बारे में पूर्व में अवगत कराया जा चुका है एवं पुनः निम्नवत् निर्देशित किया गया :-

AMRUT Reform Scoring Milestones for F.Y. 2018-19 (with backlog of F.Y. 2017-18)

S. N.	Reforms	Milestones	Max. Score	Remarks	
1	E-Governance	1. Personnel Staff Management (ULB Level)	1- Online Notification of Recruitment rules for all Municipal Cadres – निर्देशित किया गया कि यदि निकाय स्तर पर अकेन्द्रीयित सेवा की कोई नियमावली उपलब्ध हो तो उसकी छायाप्रति बुकलेट में संलग्न की जाये।	1	ई-नगर सेवा पोर्टल/निकाय की वेबसाइट से सुसंगत साक्ष्य/snap shots बुकलेट में संलग्न किया जाये। To be Authenticated by online E-nagar sewa portal (Nagar Vikas Vibhag).
			2- Online up-to-date service records/Staff details and seniority lists of last two years (2015-16 & 2016-17) – निर्देशित किया गया कि निकाय के समस्त कर्मचारियों का विवरण ई-नगर सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाना एवं नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची निकाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।	1.5	
			3- Online Biometric Attendance System – निर्देशित किया गया कि इसका विवरण निकाय की वेबसाइट पर डालते हुये इससे सम्बन्धित डेटा के प्रिन्ट आउट/snap shots को बुकलेट में संलग्न किया जाये।	1.5	
			4- Online payment of Salaries & wages– निर्देशित किया गया कि बैंक को कर्मचारियों के NEFT/RTGS के माध्यम से वेतन भुगतान हेतु भेजी जाने वाली शीट्स की छायाप्रति बुकलेट में संलग्न किया जाये।	2	
			5- Online Employee's Grievance redressal system– निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों की समस्याओं एवं उससे सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण के लिये निकाय के एक अधिकारी को नामित करते हुये उसका ई-मेल आईडी निकाय की वेबसाइट पर तत्काल प्रभाव से डाल दिया जाये। Online Employee's Grievance redressal system के माध्यम से जितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया हो, उसका विवरण बुकलेट में अंकित किया जाना होगा।	2	
			6- Sou-motu disclosure under RTI Act on website– निर्देशित किया गया कि निकाय की वेबसाइट पर निकाय की सीमा, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वार्डों के नाम, वार्डों में सम्मिलित मुहल्लों के नाम, वार्ड-पार्श्वों के नाम, यदि ज़ोनल व्यवस्था हो तो ज़ोनल अधिकारी का नाम,	2	

		महत्वपूर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्पर्क दूरभाष नम्बर, निकाय के आय-व्यय के विवरण सहित बजट, पिछले 03 वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेन्स शीट, सदन/बोर्ड से पारित प्रस्ताव, स्वीकृत एवं निविदित विकास कार्यों की सूची, महत्वपूर्ण निर्माणाधीन/पूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ्स एवं ई-न्यूज़ लेटर सहित इत्यादि अधिकाधिक जानकारी निकाय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये तथा नियमित रूप से वेबसाइट को अपग्रेड किया जाये।		
		Total :-	10	
	2. Project Management (ULB Level)	1- Online PMIS: Financial Progress	निर्देशित किया गया कि ई-नगर सेवा पर अपलोड करके snap shots बुकलेट में संलग्न किया जाये।	2
		2- Online PMIS: Physical Progress		2
		3- Online issue of NIT and Providing tender documents online		1
		4- Online submission of tender including online payment of EMD		2
		5- Online payments to consultants/ contractor/ vendors		2
		6- Geo-tagging of assets created (On mAMRUT App.) -निर्देशित किया गया कि अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल, सीवर तथा पार्कों के निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके (सृजित सम्पत्तियों) के mAMRUT app पर फोटो लेकर दिनांक 31.03.2019 तक अपलोड कर दिया जाये।		1
		Total :-		10
2	Municipal Cadre	1. Policy for right-sizing the number of Municipal functionaries by states		10
				State Level
3	Double Entry Accounting System (DEAS) (ULB Level)	1. Implementation of Accrual based Double Entry Accounting System. 2. Publication of Audited Balance-Sheet/Annual Financial Statements on ULB website. (Year 2015-16, 2016-17 & 2017-18) - निर्देशित किया गया कि पिछले 03 वित्तीय वर्षों का निकाय द्वारा तैयार किये गये बैलेन्स शीट की statutory Auditor के द्वारा audited balance sheet एवं वर्ष 2018-19 का Financial Statements निकाय की वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2019 तक अपलोड कर दिया जाये।		10
				ULB Level - Snap shots of audited Balance Sheets of years 2015-16, 2016-17 & 2017-18 from ULB Website.
4	Urban Planning	1. Establish Urban Development Authority 2. Develop at least one Children Park every year in AMRUT Cities (Year 2015-16, 2016-17 & 2017-18). (ULB Level)- Development/Construction & Value addition in a park with children's facilities.-निर्देशित किया गया कि पिछले 03 वर्षों में विकसित किये गये चिल्ड्रेन पार्कस् की टेण्डर सूचना, कार्यादेश तथा लोकेशन सहित फोटोग्राफ्स बुकलेट में लगाया जाये।		10
				State Level
				10
				Published Tenders, Work orders and photographs of the developed Children Parks during year 2015-16, 2016-17 & 2017-18 with location required.


5	Swachh Bharat Mission (S.B.M.)	1. Elimination of Open Defecation (O.D.F.)	Elimination of Open Defecation (O.D.F.) : State Sanitation Policy	5	State Level (Policy framed)
			Elimination of Open Defecation (O.D.F.): Percentage of certified ODF ULBs—निर्देशित किया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किये गये documentation के अनुसार O.D.F. से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।	5	Documents of self declaration and verification report (by SBM Directorate /QCI) to be submitted.
		2. Waste Collection (Door to Door Collection)	1- Percentage of Wards with 100% door to door waste collection.	4	निर्देशित किया गया कि कूड़े का डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन, रूट मैप तथा साइंटिफिक डिस्पोजल इत्यादि से सम्बन्धित साक्ष्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किये गये documentation तथा राज्य मिशन निदेशालय (एस.बी.एम.) द्वारा अद्यतन प्रमाणित documents के आधार पर बुकलेट में संलग्न किया जाये।
			2- Percentage of Complaints resolution on Swachhatta App by ULB.	3	
			3- Percentage of Wards practicing 100% source segregation.	3	
		Total :-	10		
		3. Transportation of Waste (100%).	Percentage of collected waste being transported for scientific disposal (scientific land fill or processing)	10	
4. Scientific Disposal 100% (Composting, RDF, Waste to Energy, etc.).	Percentage of waste being processed scientifically.	10			
			Total :-	100	

AMRUT Reform Scoring Milestones for F.Y. 2018-19 - पृथक बुकलेट बननी है।

1.	Urban Planning and City Development Plan	1. Preparation of Master Plan using GIS (State Level)	1- Contract awarded/ Certification of in-house master plan formulation.	2	Executing Agency CTCP, U.P. (Chief Town & Country Planner, U.P.) निर्देशित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, उ०प्र० से समन्वय स्थापित कर सुसंगत साक्ष्य बुकलेट में संलग्न किया जाये।
			2- Base map prepared.	4	
			3- Draft master plan is prepared.	8	
			4- GIS based master plan is notified.	10	
2	Urban Planning	1. Develop at least one Children Park every year in AMRUT Cities (Year 2015-16, 2016-17 & 2017-18). (ULB Level) – Development/Construction & Value addition in a park with children's facilities.		10	Published Tenders, Work orders and photographs of the developed Children Parks during year 2018-19 with location required.
3	Double Entry Accounting System (DEAS)	1. Implementation of Accrual based Double Entry Accounting System. 2. Publication of Audited Balance-Sheet/Annual Financial Statements on ULB website. (Year 2015-16, 2016-17 & 2017-18) 3. Financial Statement of current F.Y. 2018-19 on website.		10	ULB Level - Snap shots of audited Balance Sheets of 03 previous years from ULB Website.
				30	

वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित Reforms (जिसमे अमृत निकायों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 01 Children Park विकसित किया जाना तथा Double Entry Accounting System के अन्तर्गत कम से कम पिछले 03 वित्तीय वर्षों का Audited Balance-Sheet निकाय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना Common है), को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करके इंगित साक्ष्य सहित रिपोर्ट प्रत्येक दशा में दिनांक 20 अप्रैल, 2019 तक अमृत मिशन निदेशालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।


राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) में रिफार्म का काम देख रहे कर्नल सुसेज बोस SL-IATC एवं सुश्री मनीषा पी0पी0एम0एस0 को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से तैयार होने वाली रिफार्म बुकलेट का कार्य प्रारम्भ करके दिनांक 15 अप्रैल, 2019 तक अन्तिम रूप से तैयार करके प्रस्तुत कर दे।


(पी0 के0 श्रीवास्तव)
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

अमृत मिशन निदेशालय, उ0प्र0
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7, लखनऊ।
पत्रांक:- एसएमएमयू/ 2934 /519(A)/2019, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5 को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, नगर विकास/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) को अवलोकनार्थ प्रेषित।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद (अमृत)।
3. श्री आलोक तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0।
4. श्री ए0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0 लखनऊ।
5. श्री ए0 के0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नागर)/नोडल अधिकारी, PMIS।
6. समस्त जोनल मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (सम्बन्धित अमृत निकाय)।
7. समस्त सीएमएमयू विशेषज्ञ, अमृत निकाय, उ0प्र0।
8. समस्त विशेषज्ञ, एसएमएमयू/पीडीएमसी।
9. श्री सुसेज बोस, SL-IATC


(पी0 के0 श्रीवास्तव)
अपर मिशन निदेशक (अमृत)